` भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.175

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय : राष्ट्रीय किसान दिवस

175. श्री जी. सेल्वमः

श्री सी.एन. अन्नादुरईः

डा. उमेश जी. जाधव:

श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

श्री धनुष एम. कुमारः

श्री गौतम सिगामणि पोनः

श्री रेबती त्रिपुराः

श्री विजय कुमार दुबेः

श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोजन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस अवसर पर सरकार द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में किसानों की प्रमुख समस्याओं की पहचान करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समस्याओं को हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में ऐसे कई छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास बहुत कम भू-क्षेत्र है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहकारी खेती करने के लिए किसानों को सहमत करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इस हेतु अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छोटे और सीमांत किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी हां, राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे-वृक्षारोपण, किसानमेला, किसानों से संबंधित प्रदर्शनी, वेबिनार, जागरूकता रैली, स्वच्छता अभियान, किसान और वैज्ञानिकों में परस्पर संवाद, किसान गोष्ठी, खेतों का दौरा, एक्सपोजर दौरे, नये कृषि विधेयकों पर विचार-विमर्श, किसान उत्पादक संगठन आदि पर विचार-विमर्श करके मनाया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस 551 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा मनाया गया जिसमें कुल 43013 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ख): कृषि राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारें इस क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन करती हैं। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयास से सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार की ये स्कीमें/कार्यक्रम किसानों का उत्पादन बढ़ाकर, लाभकारी मूल्य प्रदान कर और आय में वृद्धि कर किसानों के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं।

सरकार ने ''किसानों की आय दोगुनी करने'' तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति की सिफारिश करने संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने हेतु अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इस समिति ने सितम्बर, 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यनीतियों का उल्लेख किया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार डीएफआई कार्यनीति में आय में वृद्धि करने के लिए सात स्रोतों को शामिल किया गया था अर्थात (i) फसल उत्पादकता में सुधार; (ii) पशुधन उत्पादकता में सुधार; (iii) संसाधन उत्पादन दक्षता/उत्पादन लागत में बचत; (iv) फसल सघनता (Cropping Intencity) में वृद्धि; (v) उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण प्रति; (vi) किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार; और (vii) कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों को अपनाना।

सरकार ने कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है, जो किसानों की उच्च आय पर केंद्रित हैं। इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च बजटीय आवंटन के साथ बढावा दिया जा रहा है, कार्पस निधि का सृजन करके गैर बजटीय वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना और पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुपूरक आय अंतरण, सभी खरीफ एवं रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना, हर मेड पर पेड़, मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नील क्रान्ति, ब्याज माफी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड आदि शामिल हैं। नवीनतम प्रमुख गतिविधियों में 'आत्मनिर्भर भारत-कृषि' शामिल है जिसमें व्यापक बाजार सुधार शामिल होने के साथ ही एक लाख करोड़ रूपये की लागत से 'कृषि अवसंरचना निधि' का सृजन शामिल है।

(ग): देश में लघु एवं सीमांत किसानों की हिस्सेदारी दोनों को मिलाकर (0.00-2.00 है.) संगणना 2015-16 के अनुसार कुल भूमि का 86.08% है जबकि उनका प्रचालनात्मक क्षेत्र 46.94% है।

(घ): केन्द्रीय बजट 2019-20 में भारत सरकार ने 10000 नये किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने की घोषणा की थी ताकि पांच वर्षों के भीतर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) उत्पादक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किए जाते हैं।

(ड.): सरकार वर्ष 2014-15 से कृषि फसलों के गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन बढ़ाने और बीजों की गुणवत्ता में वृद्धि करने की दृष्टि से बीज एवं पौधरोपण सामग्री संबंधी उप-मिशन (एसएमएसपी) का संचालन कर रही है ताकि बीजों की अपेक्षित मात्रा देश के लघु एवं सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को उपलब्ध कराई जा सके। बीज ग्रामीण कार्यक्रम को किसानों द्वारा संरक्षित किए गए बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों ने विभिन्न कृषि फसलों के उन्नत किस्म के 20100 टन बीज का उत्पादन किया है तथा गत एक वर्ष के दौरान किसानों को उनका वितरण किया गया है।